कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001

email: jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट: jodhpurjda.org Phone No. 0291-2613086/2656113 Fax 0291-2613086

क्रमांकः F37.(3)/नि.अ./जो.स्त.स./का.वि./2023/3850

दिनांकः– 28/02/2022

–ःकार्यवाही विवरणः–

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समिति की 01/2022 की बैठक दिनांक 13.02.2023 को उपायुक्त (जोन–1) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन्न हुई जिसमें उपस्थित सदस्य/अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ–1 पर संलग्न है। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार है :–

एजेण्डा संख्या	विषय
01.	राजस्व ग्राम श्रीयादे गांव के खसरा संख्या 82/3 के ले–आउट प्लान के संबंध में।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया–

01. आवेदित भूमि में विद्युत लाईन (यदि कोई हो) तो उसके नीचे नियमानुसार सेफ्टी कोरिडोर छोडा जाना जावें। जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावें।
02. प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नही हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
03. उक्त ले–आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नही है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोडे जाने होगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
04. ले–आउट प्लान की समस्त सडकों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।

प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवादि, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा संख्या	विषय
02.	राजस्व ग्राम श्रीयादे गांव के खसरा संख्या 25/1, 25/2 के ले–आउट प्लान के संबंध में।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि का मास्टर प्लान अनुसार भू–उपयोग आवासीय एवम् टूरिजम् फेसलिटी आरक्षित है। अतः समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त ले–आउट प्लान में आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि का क्षेत्रविश्लेषण आयोजना शाखा द्वारा करते हुए प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या	विषय
03.	राजस्व ग्राम श्रीयादे गांव के खसरा संख्या 27, 27/6 के ले–आउट प्लान के संबंध में।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि का मास्टर प्लान अनुसार भू–उपयोग आवासीय एवम् टूरिजम् फेसलिटी आरक्षित है। अतः समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त ले–आउट प्लान में आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि का क्षेत्रविश्लेषण आयोजना शाखा द्वारा करते हुए प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

01.

एजेण्डा संख्या	विषय
04.	राजस्व ग्राम बासनी बैन्दा के खसरा संख्या 74/5 भूखण्ड संख्या 6, 7, 8 का पुनर्गठन के संबंध में।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया–

01. पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोडे जाने होगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

मृदुला शेखावत
आर.ए.एस.
उपायुक्त

02. मौके पर किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाने के संबंध में आवेदक से शपथ पत्र प्राप्त किया जावें व जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।
03. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
04. आवेदित भूखण्डों के पुनर्गठन किये जाने तथा आवेदकों से मूल पट्टा विलेख प्राधिकरण के पक्ष में समर्पित करवाये जाने व जोन स्तर से पुनर्गठित भूखण्डों के नवीन पट्टा विलेख जारी किए जावें। साथ ही प्रकरण में जरिये आम सूचना प्रकाशित कर विज्ञप्ति आमंत्रित की जावें तथा यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो प्रकरण पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावें।

एजेण्डा संख्या	विषय
05.	राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 418/2, 418/3 व अन्य के ले–आउट प्लान के संबंध में।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया–

01. ले–आउट प्लान में गैर मुमकिन ढाणी की भूमि का अंकन करते हुए उक्त भूमि को अनुमोदित मानचित्र का भाग नहीं माना जावें।
02. मानचित्र में आर्मी क्षेत्र से 50 मीटर दूरी का अंकन किया जावें।
03. आवेदित भूमि में विद्युत लाईन (यदि कोई हो) तो उसके नीचे नियमानुसार सेफ्टी कोरिडोर छोडा जाना जावें। जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावें।
04. प्रश्नगत भूमि मे सरकारी भूमि सम्मिलित नही हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
05. उक्त ले–आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नही है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानुसार सेट बैक छोडे जाने होगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
06. ले–आउट प्लान की समस्त सडकों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।
07. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा संख्या	विषय
06.	राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 71 के ले–आउट प्लान के संबंध में।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया–

01. आवेदित भूमि में विद्युत लाईन (यदि कोई हो) तो उसके नीचे नियमानुसार सेफ्टी कोरिडोर छोडा जाना जावें। जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावें।
02. प्रश्नगत भूमि मे सरकारी भूमि सम्मिलित नही हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
03. उक्त ले–आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नही है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानुसार सेट बैक छोडे जाने होगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
04. ले–आउट प्लान की समस्त सडकों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।
05. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा संख्या	विषय
07.	राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 118 के ले–आउट प्लान के संबंध में।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त प्रकरण में आवासीय क्षेत्रफल की जांच कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

मृदुला शेखावत
आर.ए.एस.
आयुक्त

एजेण्डा संख्या	विषय
08.	राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 200/153 के ले–आउट प्लान में संशोधन के संबंध में।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त मौका विवरण अनुसार प्रश्नगत ब्लॉक का संशोधन करने का निर्णय लिया गया।

तहसीलदार जोधपुर विकास प्राधिकरण	अधिशाषी अभियन्ता जोधपुर विकास प्राधिकरण	सहायक नगर नियोजक जोधपुर विकास प्राधिकरण	उपायुक्त (जोन–1) जोधपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./ जो.स्त.स./का.वि./2023/3851–3856 दिनांकः– 28/2/23

प्रतिलिपी :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त जोन–1, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिशाषी अभियन्ता जोन–1, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार जोन–1, जो.वि.प्रा, जोधपुर

सहायक नगर नियोजक
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर